

उत्तराखण्ड वन विकास निगम, विक्रय प्रभाग, इल्हाली  
 प्रकाश विक्रय डिपो लालकुआं डिपो संख्या-1  
 विक्रय सूची प्रपत्र- प्रारूप- MAS-1

विक्रय सूची निलाम तिथि- 25-07-2021 (लालकुआं डिपो संख्या-1 )

वर्ष 2021-22 में विक्रय कार्य में बाधक खड़े वृक्षों का निलाम

क्र० सं०	वन विकास निगम की तैयार संख्या	वन विभाग की तैयार संख्या	वन प्रभाग	गोबि का नाम	प्रजाति	नपत (सेमी०)						कुल वृक्ष	अनुमानित आयतन (स०मी०)	लोट का विवरण	
						0-10	10-20	20-30	30-40	40-50	50-60				
1	3/21-22	3/21-22	गोबि वन प्रभाग इल्हाली	गोबि वन प्रभाग इल्हाली	श्रीराम		232	111	34	2		379	34.7400	स्काई टोप हेलिस्टकल इंडिया लिमिटेड की शक्ति -176 एलिडको रिसोर्वांस क्षेत्र	
					हरा खड़ा		0	1	2	1		4	2.4040		
					सौरभ										
					कोकाट हरा खड़ा		22	5	4	1		32	4.1960		
					धूप मालवरी हरा खड़ा		24	0	5	1		30	3.7066		
					श्रीराम		278	117	45	5		445	45.1108		

डिपो अधिकारी

विक्रय सूची निलाम तिथि- 25-07-2021 (लालकुआं डिपो संख्या-1 )

वर्ष 2021.22 में विकास कार्य में बाधक खड़े वृक्षों का नौलाम

क्र० सं०	वन विकास निगम की लॉट संख्या	वन विभाग की लॉट संख्या	वन प्रभाग	राज्य का नाम	प्रजाति	नपल (सेमी०)						कुल वृक्ष	अनुमानित आयतन (घ०मी०)	लॉट का विवरण
						0-10	10-20	20-30	30-40	40-50	50-60			
								U	U	U	U			
1	16/21-22	2/21- 22	रामेश्वर प्रभाग इल्हामी	विशालपुर	कांकाट	25	21	26	5	1		78	10.700	औद्योगिक आरक्षण सिडकुल सिंघारवाज फेज-3 लाल संख्या -2 सुडिको
					रोहिणी	24	27	4	1		56	1.615		
					बहिजा				1		1	0.716		
					सेजल					3	4	7.298		
					अमरलाश		1			1	1			
					जामुन	1	1				2			
	खैर	1	3				4							
	हरा खडा													
	योग				51	53	30	7	4	1	146	20.329		

डिपो अधिकारी

उत्तराखण्ड वन विकास निगम, विक्रय प्रभाग, इल्हासी  
प्रकाश विक्रय डिपो लालकुआं डिपो संख्या-1

विक्रय सूची प्रपत्र- प्रारूप- MAS-1

विक्रय सूची निलाम तिथि- 25-07-2021 (लालकुआं डिपो संख्या-1 )

वर्ष 2021-22 में विकास कार्य में बाधक खड़े वृक्षों का निलाम

क्रम सं०	वन विकास निगम की तारीख संख्या	वन विभाग की तारीख	वन प्रभाग	शाली का नाम	प्रजाति	नपल (सं०)						कुल वृक्ष	अनुमानित आयतन (घ0मी0)	लोट का विवरण	
						0-10	10-20	20-30	30-40	40-50	50-60				
1	17/21-22	4/21-22	दर्राई पूर्वा वन प्रभाग इल्हासी	किशनपुर	शीशम	372	305	309	45	8		1039	73.728	औद्योगिक आस्थान सिडकुल सिदारवाज फेज-3 एलाट संख्या -2 एडिको सिडकुल	
					हरा खडा	6	7	13	8	2		36			
					तुल हरा खडा										
					शोरम हरा खडा			6	3			10	35.124		
					पेपर भालवरी	5	6	27	13	6		57			
					सेभल हरा खडा	1	6	1	1			9			
					जामुन हरा खडा		1					1			
					खैर	2	7					9			
					सूखा खडा										
					योग	386	333	356	70	16		1161	108.852		
व्यास वरी	30-35	40-45													
यूकेलिप्टसहा रा खडा	2	2					4	3.982							
महायोग	388	335	356	70	16		1165	112.834							

डिपो अधिकारी

## उत्तराखण्ड वन विकास निगम

### खडे वृक्षों के सार्वजनिक नीलाम/निविदा हेतु शर्तें

1. खडे वृक्षों के विक्रय हेतु नीलाम/निविदा कार्यवाही "जहाँ है जैसा है" के आधार पर सम्पन्न होगी।
2. नेक जमानत/गेट मनी/प्रवेश शुल्क :-
  - (i) नीलाम/निविदा- नीलाम में भाग लेने हेतु इच्छुक क्रेता द्वारा नेक जमानत/गेटमनी/प्रवेश शुल्क हेतु रूपया 11800.00 (दस हजार रूपये मात्र) (निविदा मूल्य का 2.5% या रूपया 11800.00 जो भी अधिक हो) का बैंक ड्राफ्ट/पे आर्डर/राष्ट्रीय बचत पत्र जो सम्बन्धित प्रभागीय लौगिंग प्रबन्धक/प्रभागीय विक्रय प्रबन्धक या प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड वन विकास निगम के पदनाम बंधक/निरूपित हो, जमा करना अनिवार्य है। नीलाम हेतु प्रवेश शुल्क नकद भी जमा की जा सकती है। जिसकी मूल धनप्राप्ति रसीद नीलाम अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करनी होगी।
  - (ii) उच्चतम प्राप्त नीलाम/निविदा सम्बन्धी नेक जमानत/गेटमनी/प्रवेश शुल्क, जो विक्रय मूल्य सम्बन्धी धनराशि देयको के विरुद्ध समायोजित हो सकेगी, को रोककर अन्य क्रेताओं की उक्त धनराशि यथाशीघ्र विलम्बतम 3 (तीन) दिन के अन्दर वापस कर दी जायेगी या क्रेता के लिखित अनुरोध पर अन्य लोट के देयकों के विरुद्ध समायोजित की जा सकेगी।
3. इच्छुक क्रेता द्वारा अपने नाम, पता आदि के प्रमाणन हेतु निम्न प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है:-
  - (i) जी0एस0टी0एन0 नम्बर (ii) पैन कार्ड (iii) आधार कार्ड और (iv) राशन कार्ड/वोटर कार्ड/वाहन चालन अनुज्ञा एवं अन्य पहचान पत्र जो पहचान पत्र के रूप में मान्य हो, की स्व सत्यापित छायाप्रति।
4. सम्बन्धित लोट की विक्रय सूची में लोट की स्थिति, वृक्षों का विवरण, कार्य अवधि अंकित है। इच्छुक क्रेता का चाहिए कि नीलाम/निविदा में भाग लेने से पूर्व लोट के वृक्षों का भली-भाँति निरीक्षण कर लें। यदि कोई भिन्नता हो तो क्रेता यथा स्थिति पुष्टि उपरान्त ही नीलाम/निविदा में भाग लें। नीलाम/निविदा स्वीकार होने के पश्चात् लाट की मात्रा-गुणवत्ता के सम्बन्ध में क्रेता का कोई प्रत्यावेदन/वस्त्रेय स्वीकार नहीं किया जायेगा/मान्य नहीं होगा और प्रथम दृष्ट्या ही अमान्य कर दिया जायेगा।
5. (i) नीलाम में लाट की बोली स्वीकार होने के तुरन्त बाद उसी दिन क्रेता को उस लाट की कीमत का 10 प्रतिशत जमानत वन निगम के अधिकृत कर्मचारियों के पास जमा करके रसीद लेनी होगी।
  - (ii) निविदा की दशा में उच्चतम निविदा सूचना प्रेषित किए जाने की तिथि से (सूचना प्रेषित किए जाने की तिथि छोड़कर) 7 (सात दिन) के अन्दर लोट की कीमत का 10 प्रतिशत जमानत करना अनिवार्य है।
  - (iii) यदि क्रेता द्वारा निर्धारित समयान्तर्गत जमानत नहीं जमा की जाती है तो तत्सम्बन्धी जमा, नेक जमानत/गेटमनी/प्रवेश शुल्क जब्त कर लिया जाएगा और लोट के विक्रय निस्तारण हेतु वन निगम स्वतंत्र होगा।
  - (iv) लोट का कार्य संतोषजनक निर्धारित प्रक्रियानुसार सम्पन्न किए जाने के उपरान्त ही जमा की वापसी/समायोजन होगा।
6. नीलाम/निविदा प्रपत्र में यथानिर्दिष्ट क्रेता को हस्ताक्षर करने होंगे।
7. बिक्री का अनुमोदन वन निगम के समक्ष अधिकारी द्वारा दिया जाएगा। सम्बन्धित प्रभागीय प्रबन्धक/डिपो अधिकारी/प्रतिनिधि द्वारा इसकी सूचना क्रेता को पंजीकृत डाक/कोरियर के माध्यम से क्रेता के पते पर भेजी जायेगी। डाक में विलम्ब की जिम्मेदारी वन निगम की नहीं होगी।
8. नीलाम/निविदा की तिथि से 30 (तीस दिन) के अन्दर (नीलाम/निविदा की तिथि छोड़कर) यदि लाट का अनुमोदन क्रेता को सूचित नहीं किया जाता है तो क्रेता लाट क्रय करने के बाध्य नहीं होगा एवं जमा जमानत की वापसी/समायोजन हेतु क्रेता स्वतंत्र होगा।

9. क्रेता को लाट का सम्पूर्ण विक्रय मूल्य, व्यापार कर, आयकर, मण्डी शुल्क (शासन द्वारा निर्धारित दरों पर) आदि देयक अनुमोदन सूचना जारी होने के (जारी तिथि छोड़कर) 20 दिन के भीतर जमा करना होगा। विशेष विक्रय मूल्य पर 0.25 प्रतिशत प्रतिदिन की दर से विलम्ब शुल्क के साथ अधिकतम 10 (दस दिन) दिनों की मियाद वृद्धि अनुमत्त होगी। मियाद वृद्धि, समुचित कारणों का उल्लेख करते हुये प्रभागीय प्रबन्धक द्वारा दी जा सकेगी। यदि मियाद वृद्धि की अवधि में भी समस्त देयक जमा नहीं किया जाता है तो लाट की बिक्री स्वतः निरस्त हो जायेगी और क्रेता की जमानत जब्त हो जायेगी और लौट का निस्तारण करने हेतु वन निगम स्वतंत्र होगा।
10. लौट का विक्रय मूल्य, व्यापार कर, आयकर, मण्डी शुल्क, स्टाम्प शुल्क आदि देयक सम्बन्धित प्रभागीय विक्रय प्रबन्धक के पक्ष में बने ड्राफ्ट/पे-आर्डर RTGS/NEFT/E-Payment द्वारा ही स्वीकार होगा। सीमान्त समायोजन हेतु अधिकतम रु0 3000/- नगद जमा हो सकते हैं।
11. समस्त देयकों की अदायगी हो जाने पर कार्यदेश सम्बन्धित प्रभागीय लौगिंग प्रबन्धक द्वारा जारी किया जायेगा जो दस्ती/डाक द्वारा भेजा जाएगा। कार्यदेश जारी होने की तिथि के 10 दिन के अन्दर (जारी भेजने की तिथि छोड़कर) क्रेता को लौट में कार्य आरम्भ करना होगा। सूचित आरम्भ करने से 03 दिन पूर्व उसे वन निगम के सम्बन्धित अधिकारी (जिसका उल्लेख कार्यदेश में होगा) को लिखित रूप से सूचित करना होगा तथा वन निगम के प्रतिनिधि की उपस्थिति में कार्य आरम्भ करना होगा।
12. लौट में कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व क्रेता को रु0 100/- के स्टाम्प पेपर में सम्बन्धित प्रभागीय लौगिंग प्रबन्धक के साथ अनुबन्ध करना होगा। नीलाम/निविदा शर्तें भी अनुबन्ध का भाग होगी।
13. यदि क्रेता कार्यदेश निर्गत होने के 10 (दस) दिनों के अन्दर कार्य आरम्भ नहीं करता है तो लौट के विरुद्ध जमा विक्रय मूल्य आदि समस्त धनराशि सहित स्वतः जब्त हो जायेगी तथा लौट का निस्तारण करने हेतु वन निगम स्वतंत्र होगा।
14. क्रेता केवल चिह्नित वृक्षों का ही पातन/कटान करेगा। यदि किसी वृक्ष के विषय में सन्देह हो तो क्रेता उसके निराकरण हेतु वन निगम के सम्बन्धित इकाई अधिकारियों को लिखित आवेदन करेगा। निराकरण होने के पश्चात् ही ऐसे वृक्ष का पातन/कटान करेगा। यदि क्रेता चिह्नित वृक्ष के अतिरिक्त किसी अन्य वृक्ष का पातन/कटान करेगा तो उसे इसके लिए निर्धारित अर्थ दण्ड देना होगा। यदि लौट में कार्य के समय किसी भी समय यह ज्ञात होगा कि क्रेता द्वारा कहीं भी अवैध पातन/कटान किया है तो लौट की बिक्री तत्काल निरस्त कर दी जायेगी और क्रेता द्वारा हेतु समस्त जमा धनराशि जब्त कर ली जायेगी। चिह्नित समस्त छपे वृक्षों एवं कटे हुये प्रकाष्ठ/जलौनी पर वन निगम का स्वामित्व हो जायेगा। इसके अतिरिक्त वैधानिक कार्यवाही भी अमल में लाई जायेगी।
15. लौट के क्रेता को वृक्षों का पातन/कटान, आवश्यकतानुसार लाफिंग आदि करने इस से करना होगा ताकि लौट के समीपस्थ बिजली लाइन, टेलीफोन लाइन या भवनो आदि को क्षति न हो। लौट में काटे जा रहे वृक्षों से मार्ग पर चलने वाले वाहनो एवं राहगीरो आदि की सुरक्षा हेतु (आवश्यकतानुसार) लाल झण्डी का प्रयोग क्रेता को करना होगा। यदि लौट में वृक्षों के कटान से किसी व्यक्ति अथवा किसी सम्पत्ति की कोई क्षति होगी तो इसकी प्रतिपूर्ति क्रेता को करनी होगी।
16. क्रेता द्वारा नियमानुसार सुसंगत नियमों एवं प्रक्रियाओं का पालन करते हुये लौट में कार्यरत श्रमिको को न्यूनतम मजदूरी का भुगतान करना होगा।
17. क्रेता को लौट से माल निकासी वन संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत वन निगम के निर्धारित के अन्तर्गत वन निगम के निर्धारित प्रपत्र 4.5 में वन निगम के अधिकृत कर्मचारी द्वारा दी जायेगी। निकासी रवन्ना पर क्रेता अथवा क्रेता के अधिकृत एवं वाहन चालक को हस्ताक्षर करना अनिवार्य होगा। निकासी नियमानुसार सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच दी जायेगी। निकासी के समय नियमानुसार अभिवहन शुल्क भी क्रेता को देना होगा, निकासी हेतु लौट स्थल को ही ट्रान्जिट डिपो माना जायेगा।

18. विक्रय सूची/कार्यादेश में अंकित समय सीमा-निर्धारित कार्य अवधि के अन्तर्गत क्रेता को लौट (जॉब) के सभी चिह्नित वृक्षों का पातन/कटान एवं उत्पादित प्रकाष्ठ जलौनी आदि की निकासी करनी होगी। निकासी से पूर्व प्रकाष्ठ के बोटो पर वन निगम अपने स्वामित्व का घन चिह्न लगायेगा। यदि क्रेता निर्धारित समय के अन्दर पातन/कटान व उत्पादित हुये प्रकाष्ठ/जलौनी की निकासी नहीं करेगा तो क्रेता के लिखित आवेदन पर उसे 15 दिनों का अतिरिक्त समय अनुमन्य हो सकता है, जिसके लिये क्रेता को लौट के कुल विक्रय मूल्य का 0.10 प्रतिशत प्रतिदिन की दर से अवधि विस्तार शुल्क देना होगा। यदि इन अतिरिक्त 15 दिनों में भी क्रेता लौट का कार्य पूर्ण नहीं करता है तो छपे वृक्षों एवं उत्पादित समस्त प्रकाष्ठ/जलौनी पर वन निगम का स्वामित्व हो जायेगा जिसका निस्तारण करने हेतु वन निगम स्वतंत्र होगा।
19. लौट की कार्यसमाप्ति के बाद क्रेता द्वारा इसकी लिखित सूचना सम्बन्धित प्रभागीय लौगिंग प्रबन्धक को दी जायेगी। तदुपरान्त नियमानुसार कार्य सम्पन्न होने की दशा में क्रेता द्वारा वन संरक्षण अधिनियम सहित सम्बन्धित सुसंगत नियमों एवं प्रक्रियाओं का पालन करना होगा।
20. क्रेता पर किसी भी प्रकार की बकाया वसूली क्रेता से भू-राजस्व के रूप में की जा सकती है।
21. लौट का कार्य निर्धारित प्रक्रियानुसार एवं संतोषजनक सम्पन्न होने के उपरान्त जमा जमानत वापस/समायोजित की जायेगी।
22. क्रेता एवं प्रभागीय विक्रय प्रबन्धक/प्रभागीय लौगिंग प्रबन्धक के मध्य विवाद उत्पन्न होने पर सम्बन्धित "क्षेत्रीय प्रबन्धक (कु0क्ष0) उत्तराखण्ड वन विकास निगम" पंच निर्णायक होंगे और उनका निर्णय अन्तिम होगा जो दोनों पक्षों का मान्य होगा।

प्रभागीय विक्रय प्रबन्धक  
प्रभागीय विक्रय प्रबन्धक  
उत्तराखण्ड वन विकास निगम  
उत्तराखण्ड वन विकास निगम  
हल्द्वानी।  
हल्द्वानी।



# कार्यालय प्रभागीय विक्रय प्रबन्धक, उत्तराखण्ड वन विकास निगम, हल्द्वानी।

57 पीपल्स, प्रभागीय विक्रय प्रबन्धक, E-mail-dsanahaldwanid@gmail.com, दूरभाष संख्या 05948 254351

पिन कोड - 241001

दिनांक प्रकाशन - 17/07/21

दिनांक 19-07-2021

सेवा में

श्री. टी. जयपाल, प्रबन्धक, वन विकास निगम, हल्द्वानी।  
प्रमुख कार्यालय, उत्तराखण्ड वन विकास निगम, हल्द्वानी।

विषय: विभागीय प्रभागीय विक्रय प्रबन्धक के समक्ष में  
पत्र संख्या:

दृष्टव्य है कि वन विकास निगम की वित्तव्यवस्था को सुचारु रूप से चलाने के लिए 5X8 सीटीपीएच के माध्यम से विभिन्न समूहों के माध्यम से प्रभागीय विक्रय प्रबन्धक के माध्यम से इस कार्यालय की उपलब्ध जमीन का विक्रय करे।  
वन विकास निगम का जीएसटीआईएन नंबर 05AAAALU9000MOZG है।

01 प्रभागीय विक्रय प्रबन्धक, हल्द्वानी (विभागीय, उत्तराखण्ड)

दिनांक 18-07-2021

02 प्रमुख कार्यालय, हल्द्वानी (विभागीय, उत्तराखण्ड)

दिनांक 18-07-2021

माधवी

प्रभागीय विक्रय प्रबन्धक, हल्द्वानी

## कार्यालय प्रभागीय विक्रय प्रबन्धक, उत्तराखण्ड वन विकास निगम, हल्द्वानी।

खुले वृक्षों के नीलायन के सम्बन्ध में आवश्यक सूचना

उत्तराखण्ड वन विकास निगम के समस्त पंजीकृत/अपंजीकृत क्रेताओं को सूचित किया जाता है कि प्रभागीय प्रबन्धक, (पूर्वी हल्द्वानी) उत्तराखण्ड वन विकास निगम, हल्द्वानी से प्राप्त खरीद वृक्षों का प्रमाण हल्द्वानी के अन्तर्गत स्थाईवासी इलेक्ट्रॉनिक्स(इण्डिया) लिमिटेड की 176 एलिडको सितारगढ़ की सुई में गठन वृक्षों की लॉट संख्या 03/2021-22 एवं विकास कार्य की लॉट संख्या 02.04/21-22 में खरीद वृक्षों का संपूर्ण नीलायन 'जहाँ है जैसा है' के आधार पर दिनांक 25-07-2021 को अपरान्ह 02:30 बजे स. लालकुशी स्थित डिवा संख्या-01 के नीलायन हाल में सम्पन्न किया जायेगा। लॉट की विक्रय सूची लालकुशी डिवा संख्या-01 में प्राप्त की जा सकती है। अपंजीकृत क्रेता धनराशि रूपया 11800.00 गैरमनी जमा कर नीलायन में भाग ले सकते हैं।

विक्रय सूची वेबसाइट- uafdc.in पर भी उपलब्ध है।

दूरभाष संख्या - हल्द्वानी (05948-254351) 9568003218

प्रभागीय विक्रय प्रबन्धक, हल्द्वानी

- 01 प्रमुख कार्यालय, हल्द्वानी (विभागीय, उत्तराखण्ड)
- 02 प्रमुख कार्यालय, हल्द्वानी (विभागीय, उत्तराखण्ड)
- 03 प्रमुख कार्यालय, हल्द्वानी (विभागीय, उत्तराखण्ड)
- 04 प्रभागीय प्रबन्धक, उत्तराखण्ड वन विकास निगम, हल्द्वानी।
- 05 प्रभागीय प्रबन्धक, उत्तराखण्ड वन विकास निगम, पूर्वी हल्द्वानी।
- 06 समस्त प्रभागीय प्रबन्धक, उत्तराखण्ड वन विकास निगम।
- 07 प्रमुख कार्यालय, लालकुशी डिवा संख्या-01 का सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- 08 प्रमुख कार्यालय, हल्द्वानी।

प्रभागीय विक्रय प्रबन्धक, हल्द्वानी।